दिनांक–01.06.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुंगेर, भागलपुर एवं सारण प्रमण्डल के जिलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का परिचय लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गयेः–

1. **समाहरणः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में सभी संबंधित जिलों का माह अप्रैल–मई के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध बहुत कम राजस्व वसूली की गयी है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। सभी जिलों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर आगामी बैठक के पूर्व शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, मुंगेर, भागलपुर एवं सारण प्रमण्डलीय जिला)

2. **अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाईः–**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जप्त वाहनों पर अधिरोपित दण्ड की राशि एवं अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध वसुली गयी राशि के अंतर को कम किया जाय तथा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध वसुली गयी राशि को हर हाल में बढ़ाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, मुंगेर, भागलपुर एवं सारण प्रमण्डलीय जिला)

3. **जप्त वाहनों का अधिहरण एवं निलामीः–**

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले में संलिप्त वाहनों को नियमानुसार राज्यसात, अधिहरण एवं नीलामी हेतु प्रस्ताव अविलम्ब संबंधित जिला के समाहर्त्ता को भेजना सुनिश्चित करें। जप्त वाहनों को अधिरोपित दंड की राशि जमा कराने के उपरांत ही छोड़े जाने हेतु निदेशित किया गया।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभाग में समाहरण से संबंधित कोई भी सूचना/ऑकड़ा प्रेषित करने के पूर्व एक बार जॉच कर संतुष्ट हो लें।

(अनु0–सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, मुंगेर, भागलपुर एवं सारण प्रमण्डलीय जिला)

4. **बालूघाटों के नीलामी/नीलामित बालूघाटों के संचालन/वैधानिक अनापत्तियों के प्राप्ति की स्थिति/प्रत्यार्पित बालूघाटों को पुनर्नीलामी की समीक्षाः—**

वैसे बालूघाट जिसका पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है एवं CTE/CTO प्राप्त किया जाना लंबित है, उनके लिए सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक उच्चतम डाकवक्ता एवं RQP से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र CTE/CTO प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय बालूघाट का संचालन किया जा सके।

प्रत्यार्पित बालूघाटों के मामले में प्रत्यर्पण के कारणों की गहन समीक्षा कर निर्धारित खनन योग्य मात्रा एवं उत्खनित बालू की मात्रा की जॉच कर सुनिश्चित हो लें कि निर्धारित कैपिंग से अधिक खनन नहीं हुआ है।

(अनु0—सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला)

5. **अनिलामित बालूघाटों का नीलामी नहीं होने के कारणों की समीक्षाः—**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनिलामित बालूघाटों के नीलामी नहीं होने के कारणों की गहन समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करें।

(अनु0—सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, पटना, कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डलीय जिला)

6. **अन्य बिन्दुः—**

- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्य विभाग यदि बालूघाटों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो ऐसे मामलों में संबंधित जिले के समाहर्त्ता की अनुशंसा प्राप्त कर आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव विभाग को समर्पित करें।
- अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध जॉच के दौरान जॉच दल पर मारपीट/हमला के मामलों में संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक बालू माफियाओं के विरूद्ध सी0सी0ए हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।
- अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में जप्त वाहनों को न्यायालय द्वारा पारित विमुक्ति आदेश के मामलों में वाहन विमुक्ति से पूर्व इसकी सूचना संबंधित जिला खनन कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिये जाने हेतु सभी थानाध्यक्षों को संबंधित जिला स्तर से निदेशित कराने का निदेश दिया गया।

- नवादा जिला के पत्थर ब्लॉक जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, उसे विखंडित कर छोटे ब्लॉक में परिवर्तित करते हुए नीलामी के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा को दिया गया।
- जिला खनन कार्यालय, अरवल का संचालन निजी मकानों में किया जा रहा है, उन्हें किसी सरकारी भवन में शीघ्र स्थानांतरित किये जाने हेतु जिले के समाहर्त्ता से पत्राचार करने का निदेश दिया गया। निदेशक, खान, समाहर्त्ता, अरवल से वार्त्ता कर शीघ्र इसे करना सुनिश्चित करें।
- वाहनों में लगे VLTS/GPS का एक्सेस जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु संचिका उपस्थापित करें।
- खनिज परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में लगे GPS तय मानक के अनुरूप है या नहीं, इसकी जॉच कराने का निदेश दिया गया।
- ईंट भट्ठों से प्राप्त होने वाले राजस्व हेतु ईंट भट्ठा मालिकों को समय–समय पर नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले ईंट भट्ठों की सूची प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित जिलों के कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम/परिषद् से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक **(K–लाईसेंस)** भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करें, जिससे आमलोगों को सुगमता से खनिज की प्राप्ति हो सके।
- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये CUG सीमकार्ड को संचालित करने का निदेश दिया गया।
- प्रत्येक महीने रॉयल्टी/मालिकाना फीस की समाहर्त्ता/आयुक्त स्तर से गहन जॉच की जरूरत है। इस हेतु समुचित प्रपत्र तैयार करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- कार्य विभागों में उपयोग हुए लघु खनिजों की मात्रा के विरूद्ध काटे गये चालान तथा चालान के अनुरूप रॉयल्टी/मालिकाना फीस से संबंधित पीछले एक वर्ष का

डाटा सपर्पित करने का निदेश सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया।

- NIC से संबंधित मामलों में जिला स्तर एवं NIC के मध्य समन्वय हेतु SOP बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।
- विभागीय स्तर पर डैशबोर्ड बनाया जाये, जिससे जिला वार Settlee संबंधी पूर्ण विवरणी एक क्लिक पर देखी जा सके।
- बालू मित्र ऐप की संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

(अनु0–निदेशक, खान, अपर सचिव, सहायक निदेशक (मु0), खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) सभी सहायक निदेश/खनिज विकास पदा0, मुंगेर, भागलपुर एवं सारण प्रमण्डलीय जिला)/आई0टी0 मैनेजर)

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव

सं0स0–विविध (बैठक)–07/2024 3807 /एम0, पटना, दिनांक– 15/06/26

प्रतिलिपि– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/सभी सहायक निदेशक (मु0)/सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)/सभी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/06/26.

सरकार के अपर सचिव